



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28052022-236072

CG-DL-W-28052022-236072

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 10]

नई दिल्ली, मई 22—मई 28, 2022, शनिवार/ज्येष्ठ 1,— ज्येष्ठ 7, 1944

No. 10]

NEW DELHI, MAY 22—MAY 28, 2022, SATURDAY/JYAISTHA 1,—JYAISTHA 7, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 2022

आ.अ. 45.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **27-कोलारस** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/6-शिवपुरी/2019/856** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **15.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री **MM सत्येन्द्र कुमार भार्गव**, मध्य प्रदेश के **27-कोलारस** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **शिवसेना** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री **सत्येन्द्र कुमार भार्गव** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **12/13.09.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **12/13.09.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री **सत्येन्द्र कुमार भार्गव** को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा **17.10.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी द्वारा दिनांक **29.11.2019** के पत्र संख्या क्रमांक/सा.निर्वा./व्यय लेखा /2019/943 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी द्वारा अपने दिनांक **22.02.2020** के पत्र संख्या क्रमांक/सा.निर्वा./व्यय-लेखा /2020/42 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री **सत्येन्द्र कुमार भार्गव** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री **सत्येन्द्र कुमार भार्गव**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **27-कोलारस** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **शिवसेना** के अभ्यर्थी, श्री **सत्येन्द्र कुमार भार्गव**, निवासी ग्राम **भड़ौता तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म. प्र.)** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 4th May, 2022

O.N. 45.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **27- Kolaras** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **15.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Shivpuri** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter **File No. 10-A/Four/Elec. Expenditure Account/6- Shivpuri/2019/856** dated **19.01.2019**, **Shri Satyendra Kumar Bhargav**, contesting candidate of **Shiv Sena** from **27- Kolaras** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses**.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Shivpuri** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **12/13.09.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Satyendra Kumar Bhargav** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **12/13.09.2019** to **Shri Satyendra Kumar Bhargav** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, said notice was received by **him** on **17.10.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Shivpuri** vide his letter No./Gen.Elec./Expenditure account/2019/943 dated **29.11.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Shivpuri** vide his letter No./Gen.Elec./Expenditure-account/2020/42 dated **22.02.2020** it has been stated that **Shri Satyendra Kumar Bhargav** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Satyendra Kumar Bhargav** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Satyendra Kumar Bhargav**, resident of **Village Bhadota, Tehsil Kolaras, Distt - Shivpuri (M.P.)**, the contesting **Candidate of Shiv Sena** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **27- Kolaras** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 2022

आ.अ. 46.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 27-कोलारस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/6-शिवपुरी/2019/856 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 15.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह यादव, मध्य प्रदेश के 27-कोलारस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री महेन्द्र सिंह यादव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.01.2021 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 21.01.2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री महेन्द्र सिंह यादव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनकी पुत्री द्वारा 17.02.2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी द्वारा दिनांक 09.03.2021 के पत्र सं. क्र./सा.निर्वा./वि.स. 2018/निर्वा.व्यय नोटिस 2021/120 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी द्वारा अपने दिनांक 09.03.2021 के पत्र सं. क्र./सा.निर्वा./वि.स. 2018/निर्वा.व्यय नोटिस 2021/120 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री महेन्द्र सिंह यादव ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री महेन्द्र सिंह यादव, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 27-कोलारस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, श्री महेन्द्र सिंह यादव, निवासी म.क्र. 25 मांगरोल बरखेड़ाखुर्द, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म. प्र.) को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th May, 2022

O.N. 46.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of 27- Kolaras Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 15.01.2019 submitted by the District Election Officer, Shivpuri District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter File No. 10-A/Four/Elec. Expenditure Account/6- Shivpuri/2019/856 dated 19.01.2019, Shri Mahendra Singh Yadav, the contesting Independent candidate from 27- Kolaras Assembly Constituency of Madhya Pradesh, failed to lodge any account of his election expenses as manner required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, Shivpuri District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated 21.01.2021 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to Shri Mahendra Singh Yadav for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 21.01.2021 to Mahendra Singh Yadav was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

And WHEREAS, the said notice was received by his daughter on 17.02.2021. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, Shivpuri vide his letter No./Gen.Elec./L.A. 2018/ Elec. Expenditure Notice/2021/120 dated 09.03.2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Shivpuri vide his letter No./Gen.Elec./L.A. 2018/ Elec. Expenditure Notice/2021/120 dated 09.03.2021, it has been stated that Shri Mahendra Singh Yadav has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that Shri Mahendra Singh Yadav has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Mahendra Singh Yadav**, resident of **House No. 25 Mangrol Barkheda Khurd, Tehsil Badarwas, Distt Shivpuri (M.P.)**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **27- Kolaras** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

आ.अ. 47.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **143-सिलवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **18.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/32-रायसेन/2019/842** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **17.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री मुन्ना**, मध्य प्रदेश के **143-सिलवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलयी अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री मुन्ना** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **13.08.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **13.08.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री मुन्ना** को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें; **और यतः**, उक्त नोटिस उनके द्वारा **20.03.2020** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन द्वारा दिनांक **15.05.2020** के पत्र संख्या क्रमांक 218/23-भा.निर्वा./2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन द्वारा अपने दिनांक **29.12.2020** के पत्र संख्या 1870/23-भा.निर्वा./2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री मुन्ना** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री मुन्ना**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **143-सिलवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, **श्री मुन्ना**, निवासी ग्राम सेवड़ा, चुग्गी टेक के ऊपर, दतिया तहसील व जिला दतिया (म. प्र.), को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th May, 2022

O.N. 47.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **143- Silwani** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Raisen** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter **File No 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/32-रायसेन/2019/842** dated **18.01.2019**, **Shri Munna**, contesting **independent** candidate from **143-Silwani** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses**.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Raisen** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **13.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Munna** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **13.08.2019** to **Shri Munna** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, said notice was received by **him** on **20.03.2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raisen** vide his letter क्रमांक 218/23-भा.निर्वा./2020 dated **15.05.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raisen** vide his **letter No 1870/23-भा.निर्वा./2020** dated **29.12.2020** it has been stated that **Shri Munna** has not submitted any representation

or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Munna** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Munna**, resident of **Gram Sewda, Chuggi Tek Ke Upar, Teh Datiya, Jila Datiya (M.P.)** the contesting **Independent Candidate** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **143- Silwani** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

आ.अ. 48.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **143-सिलवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **18.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/32-रायसेन/2019/842** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **17.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री दिनेश**, मध्य प्रदेश के **143-सिलवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलयी अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री दिनेश** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **13.08.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **13.08.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री दिनेश** को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके पिता द्वारा **04.03.2020** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन द्वारा दिनांक **06.03.2020** के पत्र संख्या क्यू/25/निर्वा/2020/297 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन द्वारा अपने दिनांक **29.12.2020** के पत्र संख्या 1870/23-भा.निर्वा./2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री दिनेश** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेख का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री दिनेश**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **143-सिलवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, **श्री दिनेश, निवासी ग्राम पोस्ट चुरली तहसील लहार जिला भिण्ड (म. प्र.)** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th May, 2022

O.N. 48.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **143- Silwani** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Raisen** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter **File No 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/32-रायसेन/2019/842** dated **18.01.2019**, **Shri Dinesh**, contesting **independent** candidate from **143- Silwani** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Raisen** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **13.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Dinesh** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **13.08.2019** to **Shri Dinesh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, said notice was received by **his father** on **04.03.2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raisen** vide his letter No. **क्यू/25/निर्वा/2020/297** dated **06.03.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raisen** vide his letter No **1870/23-भा.निर्वा./2020** dated **29.12.2020** it has been stated that **Shri Dinesh** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Dinesh** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Dinesh**, resident of **Gram Post churli, teh lahar, jila Bhind (M.P.)** the contesting **Independent** Candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **143- Silwani** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

आ.अ. 49.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **143-सिलवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **18.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/32-रायसेन/2019/842** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **17.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री **अ. वहीद खा**, मध्य प्रदेश के **143-सिलवानी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **सपाक्स पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अ. वहीद खाँ को कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.08.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अ. वहीद खाँ को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा 29.08.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन द्वारा दिनांक 09.09.2019 के पत्र संख्या 2052/23-भा.निर्वा./लेखा/2019 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन द्वारा अपने दिनांक 29.12.2020 के पत्र संख्या 1870/23-भा.निर्वा./2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अ. वहीद खाँ ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अ. वहीद खाँ, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 143-सिलवानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले सपाक्स पार्टी के अभ्यर्थी, श्री अ. वहीद खा, निवासी वार्ड क्र-04 मकान न. 352 कस्बा सिलवानी जिला रायसेन (म. प्र.) को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th May, 2022

O.N. 49.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **143- Silwani** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Raisen** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter **File No 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/32-रायसेन/2019/842** dated **18.01.2019**, **Shri Abdul Baheed Khan**, contesting candidate of **Sapaks Party** from **143- Silwani** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses**.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Raisen** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **13.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Abdul Baheed Khan** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **13.08.2019** to **Shri Abdul Baheed Khan** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice; AND WHEREAS, said notice was received by **him** on **29.08.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Raisen** vide his letter **No. 2052/23-भा.निर्वा./लेखा/2019** dated **09.09.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Raisen** vide his **letter No. 1870/23-भा.निर्वा./2020** dated **29.12.2020** it has been stated that **Shri Abdul Baheed Khan** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Abdul Baheed Khan** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Abdul Baheed Khan**, resident of **Ward no 4, Makan no 352, Kasba Silwani, Jila Raisen (M.P.)** the contesting **Candidate of Sapaks Party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **143- Silwani** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

आ.अ. 50.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 197-गंधवानी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/45-धार/2019/912 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, धार जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री आदिवासी अरविंद मुझाल्दा, मध्य प्रदेश के 197-गंधवानी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धार जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री आदिवासी अरविंद मुझाल्दा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.08.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री आदिवासी अरविंद मुझाल्दा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा 04.07.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, धार द्वारा दिनांक 24.09.2019 के पत्र संख्या 1553/निर्वाचन/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धार द्वारा अपने दिनांक 24.09.2019 के पत्र सं. 1553/निर्वाचन/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री आदिवासी अरविंद मुझाल्दा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री आदिवासी अरविंद मुझाल्दा, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **197-गंधवानी (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **गोंडवाना गणतंत्र पार्टी** के अभ्यर्थी, **श्री आदिवासी अरविंद मुझाल्दा**, निवासी **11 झामरियापुरा ग्राम-लोणी तहसील-कुशी जिला-धार** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th April, 2022

O.N. 50.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **197-Gandhwani (ST)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Dhar** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/45-Dhar/2019/912** dated **19.01.2019**, **Shri. Aadiwasi Arvind Muzalda**, the contesting candidate of **Gondvana Gantantra Party** from **197-Gandhwani (ST)** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Dhar** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **07.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri. Aadiwasi Arvind Muzalda** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **07.08.2019**, **Shri. Aadiwasi Arvind Muzalda** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **04.07.2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Dhar** vide his letter No. **1553/Election/2020** dated **24.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Dhar** vide his letter No. **1553/Election/2020** dated **24.09.2020** it has been stated that **Shri. Aadiwasi Arvind Muzalda** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri. Aadiwasi Arvind Muzalda** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri. Aadiwasi Arvind Muzalda**, resident of **11 Jhamriyapura Gram Loni Tehsil Kukshi District Dhar**, the contesting candidate of **Gondvana Gantantra Party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **197-Gandhwani (ST) Assembly Constituency**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

आ.अ. 51.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **157-आष्टा (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/35-सीहोर/2019/924** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री रामप्रसाद, मध्य प्रदेश के **157-आष्टा (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **शिवसेना पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रामप्रसाद को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.03.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23.03.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रामप्रसाद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा 07.04.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर द्वारा दिनांक 26.09.2019 के पत्र संख्या 265/निर्वा./वि.स.2018/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर द्वारा अपने दिनांक 26.09.2019 के पत्र सं. 265/निर्वा./वि.स.2018/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रामप्रसाद ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही

लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रामप्रसाद**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **157-आष्टा (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **शिवसेना पार्टी** के अभ्यर्थी, **श्री रामप्रसाद**, निवासी **ग्राम खडी (हाट) तह. आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.)** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th April, 2022

O.N. 51.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **157- Ashta (SC)** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/ 35-Sehore/2019/924** dated **19.01.2019**, **Shri. Ramprasad**, the contesting candidate of **Shivsena Party** from **157- Ashta (SC)** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses**.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **23.03.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri. Ramprasad** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **23.03.2019**, **Shri. Ramprasad** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **07.04.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **265/Elec./L.A.2018/2020** dated **26.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **265/Elec./L.A.2018/2020** dated **26.09.2020** it has been stated that **Shri. Ramprasad** has not submitted any

representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, He has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri. Ramprasad** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri. Ramprasad**, resident of **Village Khadi (HAT), Tehsil Ashta District Sehore (M.P.)**, the contesting candidate of **Shivsena Party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **157- Ashta (SC)** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

आ.अ. 52.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, यह निदेश देता है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के कार्य निष्पादन में सहायता करने के लिए उक्त तालिका के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित इसकी अधिसूचना सं. 434/गुजरात-लो.स./2017(2) दिनांक 5 जून, 2017, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:-

तालिका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम	सहायक रिटर्निंग अधिकारी
(1)	(2)	
6-गांधीनगर	41-घाटलोडिया	प्रांत अधिकारी, अहमदाबाद शहर (पश्चिम), जिला-अहमदाबाद
8-अहमदाबाद (पश्चिम) (अ.जा.)	44-एलिसब्रिज	जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला-अहमदाबाद, अहमदाबाद

[फा. सं. 434/गुज.-लो.स./2017(2)]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2022

O.N. 52.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission of India hereby directs that the following amendments shall be made in the Notification No. 434/GJ-HP/2017(2) dated 5th June, 2017, as amended from time to time, relating to the appointment of Assistant Returning Officers for the Parliamentary Constituencies in the State of Gujarat, as specified in column (3) of the Table attached herewith, as Assistant Returning Officers, to assist the Returning Officer of the

Parliamentary Constituency of the State as specified in column (1) of the said table in the performance of the function of such Returning Officers : -

TABLE

No. & Name of Parliamentary Constituency	Number and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
6-Gandhinagar	41 - Ghatlodia	Prant Officer, Ahmedabad City (West), Dist. Ahmedabad
8-Ahmedabad(West) (SC)	44-Ellisbridge	District Supply Officer, Dist-Ahmedabad, Ahmedabad

[F. No. 434/GJ-HP/2017(2)]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

आ.अ. 53.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 80-सिंगरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/17- सिंगरौली /2019/872 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 15.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती शिखा सिंह पत्नी ओमप्रकाश शिंह मध्य प्रदेश के 80-सिंगरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली समाजवादी पार्टी की अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रही।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती शिखा सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.08.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 01.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती शिखा सिंह पत्नी ओमप्रकाश शिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके पति द्वारा 07.09.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सिंगरौली द्वारा दिनांक 17.09.2019 के पत्र संख्या 1835/सा.निर्वा./2019 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सिंगरौली द्वारा अपने दिनांक 06.11.2020 के पत्र सं. 417/सा.निर्वा./2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती शिखा सिंह ने आज की तारीख

तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्रीमती शिखा सिंह**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **80-सिंगरौली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली समाजवादी पार्टी की अभ्यर्थी, **श्रीमती शिखा सिंह पत्नी ओमप्रकाश शिंह निवासी इंदिरा बार्ड, गनियारी थाना-वैढन, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2022

O.N. 53.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **80- Singrauli** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **15.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Singrauli** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter **File No. 10-A/Four/Elec.Expenditure Account/17- Singrauli /2019/872** dated **19.01.2019**, **Smt. Shikha Singh w/o Omprakash Shingh**, the contesting candidate of **Samajwadi party** from **80- Singrauli** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of her election expenses**.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Singrauli** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **01.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Smt. Shikha Singh** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **01.08.2019**, **Smt. Shikha Singh** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her complete

accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **her husband** on **07.09.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Singrauli** vide his letter No. 1835/Gen. Elec./2019 dated **17.09.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Singrauli** vide his **letter No. 417/Gen. Elec./2020 dated 06.11.2020**, it has been stated that **Smt. Shikha Singh** has not submitted any representation or a statement of correct account of her election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, She has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Smt. Shikha Singh** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Shikha Singh w/o Omprakash Shingh** resident of **Indira Ward, Ganiyari, Thana-Waidhan, Dist- Singrauli (M.P.)** the contesting **Candidate of Samajwadi party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **80- Singrauli** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

आ.अ. 54.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **71-मऊगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/15-रीवा/2019/931** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **17.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री राममणि शुक्ला (गर्ग – गाड़ा)**, मध्य प्रदेश के **71-मऊगंज** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **सपाक्स पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रीवा** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री राममणि शुक्ला (गर्ग – गाड़ा)** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **03.07.2020** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 03.07.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राममणि शुक्ला (गर्ग – गाड़ा) को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके अनुपस्थित होने के कारण, 16.08.2020 को 2 गवाहों के सामने उनके घर की दीवार पर चिपका दिया गया था। नोटिस की तामिली रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा द्वारा दिनांक 28.09.2020 के पत्र संख्या 539/15/निर्वा./ES/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा द्वारा अपने दिनांक 08.03.2021 के पत्र सं. 181/15/निर्वा./ES/2021 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राममणि शुक्ला (गर्ग – गाड़ा) ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राममणि शुक्ला (गर्ग – गाड़ा), निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 71-मऊगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले सपाक्स पार्टी के अभ्यर्थी, श्री राममणि शुक्ला (गर्ग – गाड़ा), निवासी ग्राम गाड़ा पोस्ट वसिगड़ा थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2022

O.N. 54.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of 71-Mauganj Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Rewa** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter **File No. 10-A/Four/Elec. Expenditure Account/15- Rewa/2019/931** dated **19.01.2019**, **Shri Rammani Shukla (Garg-Gada)**, contesting candidate of **Sapaks Party** from **71-Mauganj** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Rewa** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **03.07.2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Rammani Shukla (Garg-Gada)** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **03.07.2020** to **Shri Rammani Shukla (Garg-Gada)** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said **notice was pasted on the wall of his house in front of two witness on 16.08.2020.** Acknowledgment receipt of the said notice has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Rewa** vide his letter No. **539/15/Elec/ES /2020** dated **28.09.2020.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Rewa** vide his letter No. **181/15/Elec/ES/2021** dated **08.03.2021** it has been stated that **Shri Rammani Shukla (Garg-Gada)** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Rammani Shukla (Garg-Gada)** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Rammani Shukla (Garg-Gada)**, resident of **Vill. Gada Post, Office-Basigada, Thana-Shahpur, Tehsil Hanumana, Dist. Rewa (M.P.)** the contesting **Sapaks Party Candidate** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **71-Mauganj** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

आ.अ. 55.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 67-रामपुर बाघेलान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/14-सतना/2019/876 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रशांत पाण्डेय, मध्य प्रदेश के 67-रामपुर बाघेलान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री प्रशांत पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.07.2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 03.07.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री प्रशांत पाण्डेय को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेख न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा 17.07.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा दिनांक 02.09.2020 के पत्र संख्या 610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा अपने दिनांक 02.09.2020 के पत्र सं. 610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री प्रशांत पाण्डेय ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेख का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री प्रशांत पाण्डेय, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 67-रामपुर बाघेलान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी, श्री प्रशांत पाण्डेय, निवासी ग्राम-हिनाती पो. सिजहटा, तह. रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.) को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2022

O.N. 55.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **67-Rampur Baghelan** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/ 14-Satna/2019/876** dated **19.01.2019**, **Shri. Prashant Pandey**, the contesting candidate of **Aam Aadmi Party** from **67-Rampur Baghelan** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **03.07.2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri. Prashant Pandey** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **03.07.2020**, **Shri. Prashant Pandey** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **17.07.2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec./Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec./Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020** it has been stated that **Shri. Prashant Pandey** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri. Prashant Pandey** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri. Prashant Pandey**, resident of **Gram-Hinauti, Post Sijahata, Tahsil Rampur Baghelan Dist. Satna (M.P.)**, the contesting candidate of **Aam Aadmi Party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **67-Rampur Baghelan** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

आ.अ. 56.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **67-रामपुर बाघेलान** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/14-सतना/2019/876** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **सतना** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **16.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री पंकज सिंह**, मध्य प्रदेश के **67-रामपुर बाघेलान** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **राष्ट्रीय संयुक्त समाज पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सतना** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री पंकज सिंह** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **03.07.2020** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **03.07.2020** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री पंकज सिंह** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके चाचा द्वारा **17.07.2020** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सतना** द्वारा दिनांक **02.09.2020** के पत्र संख्या **610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सतना** द्वारा अपने दिनांक **02.09.2020** के पत्र सं. **610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री पंकज सिंह** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री पंकज सिंह**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **67-रामपुर बाघेलान** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **राष्ट्रीय संयुक्त समाज पार्टी** के अभ्यर्थी, **श्री पंकज सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट सोनौरा थाना अमरपाटन जिला सतना म.प्र.** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2022

O.N. 56.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **67-Rampur Baghelan** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/14-Satna/2019/876** dated **19.01.2019**, **Shri. Pankaj Singh**, the contesting candidate of **Rashtriya Sanyukt Samaj Party** from **67-Rampur Baghelan** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.** AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **03.07.2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri. Pankaj Singh** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **03.07.2020**, **Shri. Pankaj Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **his Uncle** on **17.07.2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec./Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec./Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020** it has been stated that **Shri. Pankaj Singh** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri. Pankaj Singh** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri. Pankaj Singh**, resident of **Gram Post Sonaura Thana Amarpatan Dist Satna (M.P.)**, the contesting candidate of **Rashtriya Sanyukt Samaj Party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **67-Rampur Baghelan** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

आ.अ. 57.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 64-नागौद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/14-सतना/2019/876 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेन्द्र जायसवाल, मध्य प्रदेश के 64-नागौद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राजेन्द्र जायसवाल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 31.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राजेन्द्र जायसवाल को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा 10.09.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा दिनांक 02.09.2020 के पत्र संख्या 610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा अपने दिनांक 02.09.2020 के पत्र सं. 610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राजेन्द्र जायसवाल ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजेन्द्र जायसवाल, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अंतर्गत किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 64-नागौद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के अभ्यर्थी, श्री राजेन्द्र जायसवाल, निवासी ग्राम पोंडी पो. पिथौराबाद तहसील उचेहरा जिला सतना (म.प्र.) को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2022

O.N. 57.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **64-Nagod** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/ 14-Satna/2019/876** dated **19.01.2019**, **Shri. Rajendra Jaiswal**, contesting candidate of **Peoples Party of India (Democratic)** from **64-Nagod** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses**. AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **31.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri. Rajendra Jaiswal** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **31.07.2019**, **Shri. Rajendra Jaiswal** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **10.09.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec./Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Rewa** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec./Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020** it has been stated that **Shri. Rajendra Jaiswal** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri. Rajendra Jaiswal** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri. Rajendra Jaiswal**, resident of **Gram Podi Post Pithorabaad Tehseel Unchehara District Satna (M.P.)**, the contesting candidate of **Peoples Party of India (Democratic)** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **64-Nagod** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

आ.अ. 58.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **64-नागौद** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 19.01.2019 के पत्र सं. 10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/14-सतना/2019/876 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती फूलन देवी बगारी, मध्य प्रदेश के **64-नागौद** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **अखिल भारतीय अपना दल** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती फूलन देवी बगारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 31.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती फूलन देवी बगारी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके पति द्वारा 26.09.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा दिनांक 02.09.2020 के पत्र संख्या 610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना द्वारा अपने दिनांक 02.09.2020 के पत्र सं. 610/ई/15-25/निर्वा./व्ययलेखा/2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती फूलन देवी बगारी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने

निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती फूलन देवी बगारी, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **64-नागौद** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **अखिल भारतीय अपना दल** के अभ्यर्थी, **श्रीमती फूलन देवी बगारी, निवासी ग्राम भिटारी पो. श्यामनगर जिला सतना** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2022

O.N. 58.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **64-Nagod** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **16.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/14-Satna/2019/876 dated **19.01.2019**, **Smt. Phoolan Devi Bagari**, the contesting candidate of **Akhil Bharatiya Apna Dal** from **64-Nagod** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.** AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Satna** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **31.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Smt. Phoolan Devi Bagari** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **31.07.2019**, **Smt. Phoolan Devi Bagari** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **her husband** on **26.09.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Satna** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec./Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Rewa** vide his letter No. **610/E/15-25/Elec./Expenditure Account/2020** dated **02.09.2020** it has been stated that **Smt. Phoolan Devi Bagari** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Smt. Phoolan Devi Bagari** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Phoolan Devi Bagari**, resident of **Gram Bhitari Post Shyamnagar District Satna**, the contesting candidate of **Akhil Bharatiya Apna Dal** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **64-Nagod** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

आ.अ. 59.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **80-सिंगरौली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/17- सिंगरौली /2019/872** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिंगरौली** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **15.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री रामलखन शर्मा**, मध्य प्रदेश के **80-सिंगरौली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दल्यी अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिंगरौली** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री रामलखन शर्मा** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **01.08.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **01.08.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री रामलखन शर्मा** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें; और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा **07.09.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन

अधिकारी, सिंगरौली द्वारा दिनांक 17.09.2019 के पत्र संख्या 1835/सा.निर्वा./2019 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सिंगरौली द्वारा अपने दिनांक 06.11.2020 के पत्र सं. 417/सा.निर्वा./2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रामलखन शर्मा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रामलखन शर्मा, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 80-सिंगरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलयी अभ्यर्थी, श्री रामलखन शर्मा, निवासी ग्राम पो0 कचनी, थाना- वैठन, तहसील व जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2022

O.N. 59.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of 80- Singrauli Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 15.01.2019 submitted by the District Election Officer, Singrauli District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter File No. 10-A/Four/Elec.Expenditure Account/17- Singrauli /2019/872 dated 19.01.2019, Shri Ramlakhan Sharma, the contesting Independent Candidate from 80- Singrauli Assembly Constituency of Madhya Pradesh, failed to lodge any account of his election expenses.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, Singrauli District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated 01.08.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to Shri Ramlakhan Sharma for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **01.08.2019**, **Shri Ramlakhan Sharma** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **07.09.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Singrauli** vide his letter No. 1835/Gen. Elec./2019 dated **17.09.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Singrauli** vide his letter No. **417/Gen. Elec./2020 dated 06.11.2020**, it has been stated that **Shri Ramlakhan Sharma** has not submitted any representation or a statement of correct account of his/her election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he/She has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Ramlakhan Sharma** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ramlakhan Sharma**, resident of **Village PO-Kachani, PS-Waidhan, Tehsil- Dist- Singrauli (M.P.)** the contesting **Independent Candidate** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **80- Singrauli** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

आ.अ. 60.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **156-बुधनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/35-सीहोर/2019/924** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **17.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती वीणा, मध्य प्रदेश के **156-बुधनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती वीणा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.03.2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25.03.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती वीणा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेख न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा 02.03.2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर द्वारा दिनांक 09.03.2021 के पत्र संख्या 101/निर्वा./वि.स.2018/2021 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर द्वारा अपने दिनांक 08.04.2021 के पत्र सं. 123/निर्वा./वि.स.2018/2021 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती वीणा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती वीणा, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 156-बुधनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना के अभ्यर्थी, श्रीमती वीणा, निवासी वार्ड नं.-09, सुभाष वार्ड, मंडला रोड, डिंडोरी, पोस्ट व तहसील – डिंडोरी, जिला डिंडोरी को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th April, 2022

O.N. 60.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **156-Budni** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/35-Sehore/2019/924** dated **19.01.2019**, **Smt. Veena**, contesting candidate of **Shiv Sena** from **156-Budni** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses**.

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **25.03.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Smt. Veena** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **25.03.2019**, **Smt. Veena** was directed to submit her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge her complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **her** on **02.03.2021**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **101/Elec./L.A.2018/2021** dated **09.03.2021**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **123/Elec./L.A.2018/2021** dated **08.04.2021** it has been stated that **Smt. Veena** has not submitted any representation or a statement of correct account of her election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Smt. Veena** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Veena**, resident of **Ward No. 09, Subhash Ward, Mandala Road, Dindori, Post and Tehsil - Dindori, District Dindori**, the contesting candidate of **Shiv Sena** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **156-Budni** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

आ.अ. 61.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **156-बुधनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/35-सीहोर/2019/924** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **17.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री विमलेश आरबी**, मध्य प्रदेश के **156-बुधनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **आम आदमी पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री विमलेश आरबी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **25.03.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **25.03.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री विमलेश आरबी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें; **और यतः**, उक्त नोटिस उनके द्वारा **07.04.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर द्वारा दिनांक **26.09.2020** के पत्र संख्या **265/निर्वा./वि.स.2018/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर द्वारा अपने दिनांक **26.09.2020** के पत्र सं. **265/निर्वा./वि.स.2018/2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री विमलेश आरबी** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री विमलेश आरबी**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **156-बुधनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **आम आदमी पार्टी** के अभ्यर्थी, **श्री विमलेश आरबी**, निवासी ग्राम - खडली, पोस्ट - खडली, तहसील - रेहटी,

जिला - सीहोर को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th April, 2022

O.N. 61.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **156-Budni** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/35-Sehore/2019/924** dated **19.01.2019**, **Shri Vimlesh RB**, contesting candidate of **Aam Aadmi Party** from **156-Budni** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **25.03.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Vimlesh RB** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **25.03.2019**, **Shri Vimlesh RB** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **07.04.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **265/Elec./Leg.Ass.2018./2020** dated **26.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **265/Elec./Leg.Ass.2018./2020** dated **26.09.2020** it has been stated that **Shri Vimlesh RB** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Vimlesh RB** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Vimlesh RB**, resident of **Village - Khadli, Post – Khadli, Tehsil - Rehti, District - Sehore**, the contesting candidate of **Aam Aadmi Party** for the General Election to the

Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **156-Budni** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

आ.अ. 62.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **156-बुधनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/35-सीहोर/2019/924** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **17.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री प्रेम सिंह**, मध्य प्रदेश के **156-बुधनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री प्रेम सिंह** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **25.03.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **25.03.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री प्रेम सिंह** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा **07.04.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर द्वारा दिनांक **26.09.2020** के पत्र संख्या **265/निर्वा./वि.स.2018/2020** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर द्वारा अपने दिनांक **26.09.2020** के पत्र सं. **265/निर्वा./वि.स.2018/2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री प्रेम सिंह** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री प्रेम सिंह**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **156-बुधनी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **निर्दलयी** अभ्यर्थी, **श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट – सेमरी, तहसील – रेहटी, जिला - सीहोर** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th April, 2022

O.N. 62.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **156-Budni** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **17.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/35-Sehore/2019/924** dated **19.01.2019**, **Shri Prem Singh, Independent** contesting candidate from **156-Budni** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Sehore** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **25.03.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Prem Singh** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **25.03.2019**, **Shri Prem Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **07.04.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **265/Elec./Leg.Ass.2018./2020** dated **26.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Sehore** vide his letter No. **265/Elec./Leg.Ass.2018./2020** dated **26.09.2020** it has been stated that **Shri Prem Singh** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Prem Singh** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Prem Singh**, resident of **Village and Post – Semari, Tehsil – Rehti, District - Sehore**, the contesting **Independent** candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **156-Budni** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

आ.अ. 63.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी **79-चितरंगी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक **19.01.2019** के पत्र सं. **10-क/चार/निर्वा.व्यय लेखा/17-सिंगरौली/2019/872** द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिंगरौली** जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक **15.01.2019** को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार **श्री पारस कोल**, मध्य प्रदेश के **79-चितरंगी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **जन अधिकार पार्टी** के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिंगरौली** जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री पारस कोल** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **01.08.2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **01.08.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री पारस कोल** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस उनके द्वारा **19.09.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिंगरौली** द्वारा दिनांक **05.10.2019** के पत्र संख्या **1873/सा.निर्वा./2019** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिंगरौली** द्वारा अपने दिनांक **30.12.2020** के पत्र सं. **494/सा.निर्वा./2020** के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री पारस कोल** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री पारस कोल**, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के **79-चितरंगी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **जन अधिकार पार्टी** के अभ्यर्थी, **श्री पारस कोल**, निवासी **ग्राम – हरमा, पोस्ट – खटाई, तहसील – चितरंगी, जिला – सिंगरौली, म.प्र.** को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-1]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th April, 2022

O.N. 63.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of **79-Chitrangi** Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **15.01.2019** submitted by the District Election Officer, **Singrauli** District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.**10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/17-Singrauli/2019/872** dated **19.01.2019**, **Shri Paras Kol**, contesting candidate of **Jan Adhikar Party** from **79-Chitrangi** Assembly Constituency of Madhya Pradesh, **failed to lodge any account of his election expenses.**

AND WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, **Singrauli** District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated **01.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Shri Paras Kol** for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **01.08.2019**, **Shri Paras Kol** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **him** on **19.09.2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Singrauli** vide his letter No. **1873/Gen.Elec./2019** dated **05.10.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Singrauli** vide his letter No. **494/Gen.Elec./2020** dated **30.12.2020** it has been stated that **Shri Paras Kol** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that **Shri Paras Kol** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Paras Kol**, resident of **Village – Harma, Post – Khatai, Tehsil – Chitrangi, District – Singrauli, MP**, the contesting candidate of **Jan Adhikar Party** for the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 from **79-Chitrangi** Assembly Constituency, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MP-LA/2018/WS-I]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.